

पिया दगाबाज

“अचानक की अपनी पौरुष शक्ति क्षीण हो जाने से नन्नु को चिंता होने लगी थी कि कहीं उसकी पत्नी किसी गैर मर्द से संबंध न बना ले। समय के साथ यह चिंता शक में बदल गई जो निर्दोष पत्नी की हत्या का कारण बनी।

विवेक शर्मा



20 26 को शुरू हुए पांच दिन हो चुके थे। जनवरी की हाड़ कपा देने वाली ठंड से पूरा अशोकनगर जिला कंपकपा रहा था। बच्चों के स्कूल बंद कर दिए गए थे और बुजुर्ग खुद व खुद अपने अनुभव के चलते घरों में दुबके बैठे थे। ऐसे में जिला मुख्यालय से करीब दस किलोमीटर दूर अमाही तालाब के किनारे बसे अमाही ताल में एक छोटे से मकान में रहने वाली गौरी (बदला नाम) को उस रोज रात होने का इंतजार था।



गजेन्द्र सिंह कंवर
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक



विवेक शर्मा
एसडीओपी अशोकनगर



भुवनेश शर्मा
थाना प्रभारी देहात

गौरी का विवाह नन्नु से यह सोचकर किया था कि नन्नु उसकी बेटी को अपनी जान से ज्यादा चाहेगा। लेकिन दुभाग्य से ऐसा न हो सका जिसके चलते बात उस रात में पुलिस को किए गए फोन तक आ पहुंचा। मान सिंह ने मौके पर पहुंचे देहात थाना प्रभारी भुवनेश शर्मा को बताया था कि नन्नु ने मेरी बेटी की हत्या की है। मौके पर गौरी का शव भी रखा था जिसके गले पर किसी कपड़े से दबाने के निशाने थे जिन्हें देखकर ही अनुभव थी थाना प्रभारी समझ गए कि मामला हत्या का है। जिसके बाद उन्होंने इस मामले की पूरी जानकारी एसपी राजीव कुमार मिश्रा, एएसपी गजेंद्र सिंह कंवर और अशोकनगर एसडीओपी विवेक शर्मा को देते हुए मौके के पूरे हालत बयान कर दिये।



आरोपी नन्नु

दरअसल मौके पर मौजूद लोगों ने भी बताया कि नन्नु खुद ही इस बात को कह रहा था कि मैंने अपनी पत्नी को मार दिया है। जिसके बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और थाने आकर हत्या का प्रकरण दर्ज कर लिया साथ ही नन्नु की तलाश के लिए एक टीम गठित की जिसने हत्या के महज 8 घंटे की भीतर ही नन्नु आदिवासी को गिरफ्तार कर लिया और उसे न्यायालय में पेश किया गया जहां से उस को जेल भेज दिया गया इसके बाद पति के प्यार में डूबी एक मासूम और भोली पत्नी के अपने शंकालु पति के हाथों मारे जाने की पूरी कहानी कुछ इस तरह से सामने आई है। अशोकनगर शहर से करीब दस किलोमीटर दूर दक्षिण-पश्चिम दिशा में शहर की प्यास

विरोध न कर सके इसलिए कर दिया था मदहोश

जांच में सामने आया है कि आरोपी को डर था कि वह शारीरिक शक्ति में गौरी से कमजोर पड़ सकता है। इसलिए उसे डर था कि गला दबाने पर गौरी उसकी पकड़ से छूटकर भाग सकती है। इसलिए उसने पूरी योजना बनाकर पहले गौरी को प्रेम करने का नाटक कर मदहोश कर दिया और जब देखा कि अब गौरी वासना की आग में जल रही है तब मौके का फायदा उठाकर उसने पत्नी का गला दबाने के बाद शव को कंबल में लपेटकर आग के हवाले कर दिया।

पत्नी के गर्भवती होने का शक था

चर्चा के अनुसार पिछले कुछ सालों से आरोपी की पौरुष शक्ति शून्य हो चुकी थी। इसलिए उसे डर था कि उसकी नाकामी के चलते पत्नी किसी गैर पुरुष से अपनी जरूरत पूरी कर सकती है। इसलिए वह उस पर शक करने लगा था इसी बीच किसी कारण से गौरी का पेट थोड़ा बड़ा हुआ तो उसे शक हो गया कि उसके पेट में किसी और का बच्चा है। जिसके चलते उसने पत्नी की हत्या कर दी।

इस दौरान नन्नु अचानक गौरी को ऊपर बैठ गया और बाद में सफाई से उसका गला दबा दिया। इसके बाद नन्नु बाहर आया और उसने बाहर आंख ताप रहे लोगों से कहा कि मैं गौरी को मार दिया है लेकिन पहले किसी को विश्वास नहीं हुआ और सब ने मजाक समझा लेकिन जब कर्मरे में से धुआं निकलता दिखाई दिया तो नन्नु परिजन विमल, लाल सिंह आदि अंदर पहुंचे वहां उन्होंने देखा की गौरी एक कंबल से लिपट पड़ी है और उसे कंबल में आग लगी है उन्होंने तुरंत कंबल खींचकर आग बुझाई और जब देखा तुरंत गौरी लेकर अस्पताल लेकर पहुंचे तो वहां बताया गया कि गौरी मौत हो गई है। इसके बाद अशोकनगर ले गए जहां डॉक्टर ने इस मृत घोषित कर दिया दूसरी ओर इसकी खबर गौरी के देवर देवेन्द्र आदिवासी ने गौरी के पिता को दी। गौरी के पिता ने पुलिस को बताया है। देवेन्द्र ने फोन पर मुझे बताया कि तुम्हारी लड़की की तबीयत ज्यादा खराब है, तुम आ जाओ। इसके बाद मैं अमाईताल पहुंचा तो मैंने देखा कि गौरी मरी हुई हालत में कर्मरे में लेटी थी जिसके मुंह से झाग सा निकल रहा था साथ ही उसके गले पर निशान था। मैंने लडकी के जेठ लालसाहब आदिवासी से पूछा तो लाल साहब ने बताया कि तीन-चार दिन से किसी बात को लेकर नन्नु और बहू में विवाद चल रहा था आज शाम 7 बजे दोनों में लड़ाई हो गई थी तो नन्नु ने साफ़ी (गमछे) से गौरी के गले में फांसी लगाकर मार दिया। चर्चा है कि आरोपी नन्नु आदिवासी में शारीरिक कमजोरी आ गई थी। इस कारण वह पहले की तरह पत्नी को प्यार नहीं कर पाता था। कुछ दिनों से उसे लग रहा था कि गौरी का पेट फूल गया है। इस कारण उसे शंका था कि गौरी ने मेरी कमजोरी के चलते किसी गैर से संबंध बना लिया है। चर्चा है कि शायद इसी बात को लेकर वह गौरी से झगड़ा करता था। हालांकि नन्नु की यह शंका पूरी तरह निर्मूल थी क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गौरी के गर्भवती होने की पुष्टि नहीं हुई है। इस पूरे मामले में आरोपी की गिरफ्तारी से लेकर अन्य जांच में एएसआई अजीम अंसारी, सोनम यादव, देवेन्द्र शर्मा, प्रधान आरक्षक भूपेन्द्र ओझा, अतेन्द्र यादव, प्रशांत भारद्वाज तथा आरक्षक विकास पाण्डेय व महिला आरक्षक मेघाराजा बुंदेला की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

कथा पुलिस सूत्रों पर आधारित

सत्यकथा

भोपाल : शिकंजे में फंसा भोपाल के कुख्यात ईरानी डेरे का सरदार राजू उर्फ रहमान डकैत

दिसंबर महीने की 28 वीं तारीख की सुबह भोपाल पुलिस ने ईरानी डेरा में बड़ा कॉम्बिंग ऑपरेशन चलाया। अमन कॉलोनी में स्थित ईरानी डेरा केवल एक रिहायशी बस्ती नहीं, बल्कि संगठित अपराध से जुड़े लोगों का ठिकाना है। यहां रहने वाले परिवारों के तार देश के कई राज्यों में दर्ज आपराधिक मामलों से जुड़े हैं। पुलिस का दावा है कि डेरे में रहने वाले करीब 70 से अधिक परिवारों में लगभग हर घर का कोई न कोई सदस्य आपराधिक मामलों में शामिल है। चोरी, लूट, ठगी और फर्जीवाड़े जैसे मामलों में इनके नाम मध्य प्रदेश के अलावा अन्य राज्यों में

भी कई एफआईआर में भी दर्ज हैं। उस रोज राजधानी के निशातपुरा थाना इलाके में बसे इस ईरानी डेरे पर सत्राटा छाया हुआ था। सुबह के लगभग साढ़े आठ बजे थे जब डेढ़ सौ से अधिक पुलिसकर्मियों का काफिला इलाके में दाखिल हुआ। उनका मकसद था

देश भर

में इन दिनों जब फिल्म

धुरंधर का 'रहमान डकैत' चर्चा

में है, लेकिन भोपाल में फिल्मी

रहमान डकैत से अधिक चर्चा भोपाल

के राजू ईरानी उर्फ आबिद अली उर्फ

रहमान डकैत की है जो भोपाल के

कुख्यात 'ईरानी डेरा' का

सरगना है।

रहमान डकैत को

गिरफ्तार करना जो

इस डेरे का

सरगना था। राजू

का असली नाम

अब्बास अली है

लेकिन अपराध

की दुनिया में वह

राजू ईरानी और

रहमान डकैत के नाम

से कुख्यात है। लेकिन

जैसे ही पुलिस ने घरों

की तलाशी लेनी शुरू की

पुलिस के विरोध में

डेरे की महिलाएं

सड़क पर उतर

आईं।

यह ईरानी

डेरे का चरित्र

है कि जब

भी पुलिस यहां किसी अपराधी की तलाश में आती है तो डेरे की महिलाएं और बच्चे पुलिस के काम में रुकावट डालने के लिए ढाल बनकर खड़े हो जाते हैं। उस दिन भी यही हुआ पहले तो महिलाओं ने शांत विरोध किया लेकिन जल्द ही स्थिति बदल गई। चूंकि पुलिस डेरे के सरगना की तलाश में यहां पहुंची थी इसलिए महिलाओं के साथ पुरुष भी मैदान में कूद पड़े जिससे यह विरोध हिंसक झड़प में बदल गया। जिससे स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। आखिरकार, 24 पुरुष और 10 महिलाओं को बलवा करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन तब तक पुलिस का टारगेट राजू ईरानी इस आपाधापी का फायदा उठाकर फरार हो चुका था।

पुलिस ने डेरे की तलाशी लेकर यहां से एक नकली पिस्तौल, 21 बिना नंबर की स्पोर्ट्स बाइक्स, नकली नोट और अवैध हथियार तथा 51 मोबाइल फोन बरामद किए। दूसरे दिन सभी गिरफ्तार आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। मामला गर्म हो चुका था इसलिए पुलिस जानती थी कि अगर इस बार राजू की गिरफ्तारी न हो सकी तो डेरे के अपराधी तत्त्वों का मनोबल और भी कई गुना बढ़ जाएगा।

शेष पृष्ठ 4 पर...



ईरानी डेरे का कुख्यात सरगना आबिद अली उर्फ राजू ईरानी उर्फ रहमान डकैत

भोपाल का 'रहमान डकैत'

लखीसराय

दूसरे प्रेमी से शादी करने के बाद किन्नर से करवाई लिव-इन-पार्टनर की हत्या



किन्नर से दिल लगाने की सजा

यह जानते हुए भी कि गुंजा किन्नर है, ट्रेन में यात्रा करते समय विनोद का दिल उस पर आ गया था। गुंजा ने भी अपने इस आशिक को निराश नहीं किया इसलिए रिश्ते बनने के बाद दोनों पति-पत्नी बनकर साथ रहने लगे थे। लेकिन वक्त के साथ गुंजा ने विनोद को छोड़कर नए प्रेमी संतोष का संग तो किया ही साथ-साथ नए प्रेमी और उसके बीच विनोद कबाब में हड्डी न बने इसलिए प्रेमी को ही सुपारी देकर गुंजा ने विनोद की हत्या करवा दी।



ट्रेन में हुई थी पहली मुलाकात

मृतक विनोद और गुंजा की पहली मुलाकात ट्रेन में हुई थी। विनोद ट्रेन से पटना जा रहा था और गुंजा हमेशा की तरह यात्रियों ने नेग वसूल रही थी। जब वह विनोद के पास आई तो पहली नजर में तो विनोद को गुंजा की खूबसूरती देखकर उसके किन्नर होने का भरोसा ही नहीं हुआ। आसपास और भी यात्री बैठे थे इसलिए विनोद ने दस रूपए का नोट जब से निकालकर गुंजा को दे दिया। पैसा लेकर गुंजा आगे बढ़ गई मगर विनोद का दिल साथ ले गई। इसलिए विनोद सीट से उठकर बोगी के कोने में टॉयलेट के पास जाकर खड़ा हो गया। जिसके बाद जब गुंजा दूसरी बोगी में जाने के लिए उसके पास से गुजरती तो विनोद ने उसकी तरफ 5 सौ का नोट बढ़ा दिया। गुंजा ने नोट लेकर अपनी बोली में दूस्तने हुए कहा बड़े दिलदार हो बाबू।

नहीं मैं इसके बदले तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। विनोद ने उससे कहा। पूछो? तुम सवमुच किन्नर हो? क्या मतलब?

अरे कुछ नहीं तुम किसी लड़की की तरह सुंदर हो। तुम्हारा फिगर भी लड़कियों से भी ज्यादा सुंदर है। इसलिए लगता नहीं कि तुम किन्नर हो। सच है बाबू कि भगवान ने मुझे सुंदर बनाया है। लेकिन इसके अलावा एक मजाक भी किया है मेरे साथ कि मैं किन्नर हूँ। एक लड़की की तरह मैं मर्द को सारे सुख दे सकती हूँ पर उसके बच्चे को जन्म नहीं दे सकती। सॉरी मैं आप लोगों के बारे में ज्यादा जानता नहीं इसलिए आपकी बात मेरी समझ से परे है। कोई बात नहीं कभी मेरे घर आ जाओ सब समझा दूंगी। कहते हुए गुंजा ने विनोद को अपना नंबर दे दिया। विनोद तो उसका दीवाना हो ही चुका था इसलिए चार दिन बाद जब वह गुंजा के घर पहुंचा तो पूरी रात गुंजा के साथ रहा। इस दौरान उसे लगा कि वास्तव में गुंजा एक लड़की की तरह सुख दे सकती है। इसलिए कुछ सोचकर उसने गुंजा को साथ रहने कहा जिस पर वह राजी हो गई इसलिए दोनों पति-पत्नी की तरह एक साथ रहने लगे।

24 दिसंबर की रात, बिहार के लखीसराय जिले के किरऊल थाना क्षेत्र में सदी ने अपना कहर जमाया हुआ था। यहां के वृंदावन इलाके का चर्चित किरऊल रेलवे मैदान शाम ढलते ही सुनसान हो जाता है। इसी इलाके में रात करीब 9 बजे, पास के एक ढाबे से निकला 32 वर्षीय विनोद साह अपने घर की ओर चल पड़ा। वह पटना सिटी का रहने वाला था, लेकिन पिछले कुछ महीनों से अपनी पत्नी गुंजा के साथ किरऊल में रह रहा था।

आज उसका मन काफी रोमांटिक था इसलिए उसने अपनी इच्छा पहले की गुंजा को बता दी थी। गुंजा उसे कभी प्यार के लिए मना भी नहीं करती थी इसलिए आम दिनों की बजाए उस दिन घर की तरफ बढ़ रहे उसके कदमों की गति काफी तेज थी। लेकिन इससे पहले की वह मैदान पार करता अचानक अंधेरे कोने से तीन युवक साइकिलों पर सवार होकर आए और उसके रास्ते में आ खड़े हुए। विनोद कुछ समझ पाता कि इससे पहले उन्होंने उसे घेर लिया।

एक ने उसका मुंह दबोचा, दूसरे ने हाथ पकड़े और तीसरे ने एक लंबे, तेज धार वाले ब्लेड से उसका गला रेतना शुरू कर दिया। विनोद की आंखों में दर्द के साथ आश्चर्य के भाव थे। वह छटपटया, लेकिन हमलावरों की



आरोपियों से बरामद मोबाइल तथा हत्या में प्रयुक्त हथियार

पकड़ मजबूत थी। खून का फव्वारा छूटा और वह धरती पर गिर पड़ा। जिससे उसे मरा समझकर तीनों हमलावर, तेजी से साइकिलों पर सवार होकर अंधेरे में गायब हो गए। कुछ देर बाद, रास्ते से गुजरने वाले एक व्यक्ति ने

युवक को खून से लथपथ पड़े देखकर पुलिस को फोन कर दिया। खबर पाकर किरऊल थाने की पुलिस मौके पर पहुंची। विनोद साह अभी भी सांस ले रहा था, लेकिन उसकी हालत बेहद नाजुक थी। **शेष पृष्ठ 7 पर...**



आरोपी किन्नर गुंजा

...पृष्ठ 2 का शेष

उसे तुरंत लखीसराय सदर अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद उसे पटना रेफर कर दिया। लेकिन एम्बुलेंस जैसे ही लखीसराय से पटना के लिए रवाना हुई, रास्ते में ही विनोद साह ने दम तोड़ दिया।

घटना के तीन दिन बाद, 27 दिसंबर को विनोद साह की पत्नी, किन्नर गुंजा देवी, अपनी आंखें लाल लिए, शोकाकुल अवस्था में थाने पहुंची। उसने एक लिखित आवेदन दिया। आवेदन में उसने अपने ही गोतिया (समुदाय/पड़ोस) के तीन लोग अमर पासवान, शक्ति पासवान और रंजन पासवान पर आरोप लगाया कि उन्होंने पुरानी दुश्मनी के चलते उसके पति विनोद साह की हत्या कर दी।

गुंजा ने रो-रोकर कहानी सुनाई कि कैसे विनोद और इन तीनों के बीच जमीन को लेकर विवाद था, कैसे उन्होंने धमकियां दी थीं। उसने न्याय को गुहार लगाई। पुलिस ने गुंजा की शिकायत पर तीनों को थाने बुलाकर उनसे पूछताछ की लेकिन थानाध्यक्ष और उनकी टीम के मन में कुछ कचोट रहा था। पुलिस के मन में पहला सवाल तो यही था कि इतनी जल्दी और इतने स्पष्ट रूप से आरोप लगाना साधारण बात नहीं थी। आमतौर पर ऐसे मामलों में परिवार सदमें में होता है, लेकिन गुंजा का आरोप पत्र बेहद सटीक और पूरी योजना से तैयार लग रहा था। दूसरा सवाल यह था कि क्या जमीन विवाद इतना बढ़ा था कि हत्या तक की नौबत आ जाए? पुलिस ने शुरुआती पूछताछ में पाया कि विवाद इतना गंभीर नहीं था। तीसरा और सबसे बड़ा सवाल गुंजा किन्नर थी इससे विनोद से उसका रिश्ता भी असामान्य लग रहा था। इसलिए पुलिस ने दो मोर्चों पर काम शुरू किया। एक तरफ, गुंजा और स्थानीय ग्रामीणों से लगातार पूछताछ जारी रखी।

दूसरी तरफ, तकनीकी सबूत जुटाने पर जोर दिया गया। विनोद साह के मोबाइल फोन की कॉल डिटेल्स और मौके के आसपास के सीसीटीवी फुटेज को खंगाला गया। काल डिटेल्स में एक चौंकाने वाला नाम सामने लाया संतोष कुमार था। विनोद और गुंजा के फोन पर संतोष के नंबर से हफ्तों तक लंबी-लंबी बातचीत का रिकॉर्ड



था। हैरानी की बात यह थी कि हत्या से ठीक पहले और बाद में भी इन नंबरों के बीच संपर्क हुआ था। पुलिस की खोजबीन में पता चला कि संतोष कुमार कजरा थाना क्षेत्र के अरमा गांव का रहने वाला था।

जब पुलिस ने संतोष के बारे में गुंजा से पूछा, तो उसने उसे दूर का रिश्तेदार बताया। लेकिन पुलिस को यह जवाब संतुष्ट नहीं कर पाया। उन्होंने संतोष के बारे में गहन पड़ताल शुरू की। जिसमें पुलिस को पता चला कि 12 दिसंबर 2025 को, यानी विनोद साह की हत्या से केवल 12 दिन पहले, गुंजा और संतोष कुमार ने कोर्ट में जाकर आपस में शादी की है। यह खुलासा पूरे मामले को एक नई और चौंकाने वाली दिशा में ले गया।

अब पुलिस के पास एक स्पष्ट धारा मिल चुकी थी। एसपी अजय कुमार के निर्देश पर एसडीपीओ शिवम कुमार की अगुवाई में एक विशेष टीम बनाई गई। इस टीम ने गुंजा और संतोष की पृष्ठभूमि की गहराई से छानबीन की। जिसमें पता चला कि विनोद साह पटना सिटी का एक साधारण व्यक्ति था। कुछ महीने पहले ट्रेन की यात्रा के दौरान उसकी मुलाकात गुंजा देवी से हुई। गुंजा ने अपने व्यक्तित्व से विनोद को आकर्षित किया। धीरे-धीरे दोनों ने साथ रहना शुरू कर दिया। विनोद ने गुंजा को अपनी पत्नी मान लिया और किरऊल में उसके

...पृष्ठ 3 का शेष

जिसके बाद 22 तारीख तो जब पांचों दोस्त मिले तो योजना अनुसार एक ने कहा यार उंड का मौसम है आज पार्टी हो जाए। इस पर योजना अनुसार दूसरा बोला आज नहीं कल चलेंगे क्योंकि कल शराब के साथ सबको लड़की भी मिलेगी। सच में, साजिश रचने वालों में से एक ने पूछा।

हां मिडघाट के पास एक गांव की लड़की से उसकी बात हो गई है। वह कल शाम को वहां जंगल में पहुंच जाएगी। लेकिन उसके लिए भी शराब को इंतजाम करना पड़ेगा क्योंकि वो कह रही थी कि बिना पिए उसका मूड नहीं बनता। लड़की और वो भी साथ में बैठकर शराब पीने वाली, की बात सुनकर चारों आरोपियों ने अपने झूठ पर खुश होने का नाटक किया। जिससे इस जाल में चंदन भी आसानी से फंस गया। जिसके बाद अगले दिन घटना दिनांक को शाम ढलते ही पांचों युवक बाइक पर सवार होकर जावली गांव से निकले। रास्ते में माखनगर रोड स्थित एक शराब की दुकान से उन्होंने बिचर और शराब की बोतलें खरीदीं। इसके बाद वे चंदन को करीब 40 किलोमीटर दूर मिडघाट के घने जंगल में ले आए। इतनी दूर आने की बात चंदन को समझ में नहीं आ रही थी इसलिए जब उसने सुशील से



इस बाबत कहा तो सुशील बोला यार पार्टी खास है तो जगह भी तो सेफ होना चाहिए।

कुछ समय बाद चारों चंदन को लेकर ऐसे घने जंगल में पहुंच गए जहां न तो किसी के आने का डर था और न किसी के चीखने चिल्लाने की आवाज बाहर जा सकती थी। जंगल में पहुंचकर सभी ने लड़की के आने का इंतजाम करने का नाटक करते हुए शराब पीना शुरू किया। चंदन बेखोफ होकर पी रहा था, उसे इस बात का आभास नहीं था कि उसके साथी उसकी हर गतिविधि पर नजर रखे हुए हैं। समय बीतता गया और चंदन नशे में धुत हो गया। यही वह मौका था जिसका सुशील और

साथ रहने लगा।

लेकिन इस बीच, गुंजा की मुलाकात संतोष कुमार से हुई। संतोष, विनोद से उम्र में छोटा और उससे ज्यादा आकर्षक लगता था। दोनों के बीच प्रेम संबंध विकसित हुए। संतोष ने गुंजा से विवाह का प्रस्ताव रखा। लेकिन इसमें एक बड़ी रुकावट था विनोद साह। विनोद के होते हुए गुंजा का संतोष के साथ खुलेआम रहना मुश्किल था। इसलिए गुंजा और संतोष ने मिलकर यह तय किया कि विनोद को रास्ते से हटाना ही होगा।

साजिश को अंजाम देने के लिए संतोष ने अपने विश्वसनीय साथियों की मदद ली। उसने राज नारायण उर्फ राजन, अजीत कुमार और मोहम्मद अफताब को इस काम के लिए तैयार किया। पुलिस के अनुसार, गुंजा ने इन हत्यारों को एक लाख रुपया देने का वादा किया था। चारों ने मिलकर साजिश रची और इस साजिश के अगले चरण को अंजाम दिया गया। गुंजा जांच को गलत दिशा में भटकाना चाहती थी। इसीलिए उसने थाने में आवेदन देकर तीन लोगों के नाम लिखवा दिए। उसका ख्याल था कि पुलिस पुराने झगड़े में उलझ जाएगी और असली हत्यारे बाहर ही रहेंगे। गुंजा का दुःख का नाटक, उसका रोना-पीटना, सब इसी साजिश का हिस्सा था ताकि किसी को शक न हो।

लेकिन गुंजा इतना सब करने के बाद भी किरऊल पुलिस शक के घेरे से बाहर नहीं निकल सकी। जिससे तकनीकी सबूतों और गुप्त सूचनाओं के आधार पर, विशेष टीम ने छापेमारी शुरू कर दी। सबसे पहले, मास्टरमाइंड संतोष कुमार को उसके गांव अरमा से गिरफ्तार किया गया। उसकी गिरफ्तारी के बाद, बाकी तस्वीर साफ होने लगी। संतोष के बयान और निशानदेही के आधार में, पुलिस ने अन्य तीन आरोपियों राजन, अजीत और अफताब को भी धर दबोचा। फिर, सबसे महत्वपूर्ण गिरफ्तारी हुई किन्नर गुंजा देवी की। जो पहले तो खुद को निर्दोष बताकर रोना-पीटना करती रही लेकिन जब पुलिस ने उसे कोर्ट मैरिज के दस्तावेज और उसकी व संतोष के बीच की बातचीत के सबूत दिखाए, तो उसका सारा नाटक धराशायी हो गया।

पूछताछ में संतोष ने बताया कि कैसे गुंजा ने विनोद से छुटकारा पाने की जिद की थी। इसके लिए उसने

हो सके।

काम हो जाने के बाद अपना बदला पूरा होने की खुशी में सुशील ने नई बोटल निकाल दोस्तों के साथ एक बार फिर जीत की पार्टी की और फिर चारों आराम से वापस गांव आकर अपने-अपने घरों में सो गए जैसे कुछ हुआ ही न हो। इधर रात गहराने के साथ चंदन के घर वापस न आने पर उसके परिवार वालों की चिंता बढ़ती जा रही थी। आधी रात के बाद उसकी खोजबीन शुरू हुई और सुबह तक कोई पता न लगने पर माखननगर थाने में चंदन की गुमशुदगी दर्ज करवा दी गई। रिपोर्ट दर्ज होते ही पुलिस ने चंदन की खोजबीन में उसके यार दोस्तों से पूछताछ की लेकिन किसी से कोई मजबूत जवाब नहीं मिल सकता जिससे पुलिस कुछ अंदाजा लगा सके। हां सुशील और साहिल ने ऐसा इशारा जरूर किया कि वो शायद अपनी प्रेमिका को लेकर कहीं चला गया है।

बात में वजन था लेकिन अगर प्रेमिका को साथ ले गया है तो बरती से किसी युवती होकर पी रहा था, उसे इस बात का आभास नहीं था कि उसके साथी उसकी हर गतिविधि पर नजर रखे हुए हैं। समय बीतता गया और चंदन नशे में धुत हो गया। यही वह मौका था जिसका सुशील और उसके साथी इंतजार कर रहे थे। थोड़ी देर बाद जब चंदन पूरी तरह बेसुध हो गया, तो सुशील ने एक भारी पत्थर उठाया। उस पत्थर से उसने चंदन के सिर पर वार किया। पत्थर का वार इतना जबरदस्त था कि चंदन के सिर की खोपड़ी चकर नहीं मिल सकत। जिससे पुलिस कुछ अंदाजा लगा सके। हां सुशील और साहिल ने ऐसा इशारा जरूर किया कि वो शायद अपनी प्रेमिका को लेकर कहीं चला गया है। बात में वजन था लेकिन अगर प्रेमिका को साथ ले गया है तो बरती से किसी युवती होकर पी रहा था, उसे इस बात का आभास नहीं था कि उसके साथी उसकी हर गतिविधि पर नजर रखे हुए हैं। समय बीतता गया और चंदन नशे में धुत हो गया। यही वह मौका था जिसका सुशील और

संतोष एवं उसके दोस्तों को एक लाख रुपया देने का वादा भी किया था। आरोपियों की निशानदेही पर, पुलिस ने घटनास्थल के पास से ही दो लंबे ब्लेड बरामद किए जिनकी मदद से विनोद की हत्या की गई थी। इसके अलावा, गुंजा और संतोष की कोर्ट मैरिज के कागजात और चार मोबाइल फोन भी जब्त किए गए, जिनमें साजिश के सबूत मिले। एसपी अजय कुमार ने बताया कि यह एक योजना बनाकर की गई हत्या है जिसमें न्याय की गुहार लगाने वाली शख्स ही मास्टरमाइंड निकली। किन्नर गुंजा देवी, उसके नए पति संतोष कुमार, और



एसपी लखीसराय

तीनों अन्य आरोपी राजन, अजीत व अफताब को हत्या, साजिश रचने और गलत सबूत पेश करने के आरोपों में जेल भेज दिया गया।

जांच की दिशा बदलना चाहती थी गुंजा : विनोद की हत्या गुंजा ने अपने पति और उसके दोस्तों को सुपारी देकर करवाई थी। इसलिए पुलिस असली कातिलों तक न पहुंच पाए गुंजा ने पुलिस की जांच भटकाने अपने की समुदाय के तीन लोगों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज करवाया था। उसका कहना था कि इन लोगों से विनोद की एक जमीन को लेकर रंजिश चल रही थी इसलिए इन्होंने ही उसकी हत्या की है।

कहानी पुलिस सूत्रों पर आधारित सभी नाम बदले हुए हैं।



भिण्ड

सीमा ने जिंदगी की सच्चाई को मुंह चिटाते हुए अपने ममेरे देवर से यारी गांठ ली थी। लेकिन जब पत्नी की इस पाप लीला का पता पति को चला तो ...



भाई-भाभी और देवर

5 सितम्बर 2024 को भोगीपुरा में रोड़ किनारे एक खेत में बने कुएं में युवक की लाश पड़ी होने की सूचना को तत्कालीन उटीला थाना प्रभारी शिवम राजावत ने बड़ी गंभीरता से लिया। वे जब तक कुछ सिपाहियों को अपने साथ लेकर घटनास्थल पहुंच गए।



आरोपी पत्नी और उसका प्रेमी

72 घंटे साथ बिताए

महावीर के शव को ठिकाने लगाने के बाद सुरेन्द्र सीधे अपनी प्रेमिका के घर आया था। जहां पति की हत्या कर दिए जाने से खुश सीमा ने प्रेमी को उसकी इस बहादुरी का इनाम देने 72 घंटे तक अपने साथ कमरे में बंद रखा। इसके बाद उसे पैसा देकर धार्मिक यात्रा पर भेज दिया ताकि भगवान दोनों के इस अपराध का क्षमा कर पकड़े जाने से बचा दें।



कुएं में मिला था शव

ना प्रभारी ने मौके पर मौजूद लोगों को भीड़ में से लोगों को बुला कर लाश की शिनाख्त कराने की कोशिश की लेकिन सफलता नहीं मिली। मामला किसी अबूझ पहेली से कम नहीं था। क्योंकि घटनास्थल पर उन्हे कोई ऐसा सबूत नहीं मिला था, जिससे इस अंधे कत्ल का पर्दाफाश करने में कुछ मदद मिलती। इसी बीच ई-रक्षा एप की मदद से मृतक की शिनाख्त महावीर निवासी जिला भिण्ड के रूप में हुई वर्तमान में ग्वालियर में रहता था। उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट 5 सितम्बर 2024 को भिण्ड जिले के आलमपुर थाने में दर्ज थी।

शिवम राजावत ने इस मामले की तफतीश कि शुरूआत भोगीपुरा में तिराहे पर लगे सीसीटीवी फुटेज को खंगालने के साथ की साथ-ही-साथ महावीर के जान-पहचान वाले और रिश्तेदारों को सीसीटीवी से मिले फुटेज को दिखा। पृछताछ की तो फुटेज में दिख रहे युवक की पहचान रिश्तेदारों ने सुरेन्द्र के रूप में करते हुए यह भी बताया कि सुरेन्द्र के साथ मृतक की पत्नी सीमा (बदला नाम) के अवैध संबंध हैं। सुरेन्द्र और सीमा संदेह के घेरे में आए तो थाना प्रभारी ने उन दोनों पर शिकंजा कसा। इसी बीच मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने सुरेन्द्र को गिरफ्तार कर लिया। थाना प्रभारी ने सख्ती से पृछताछ की तो वह टूट गया उसने बताया कि महावीर की पत्नी सीमा के कहने पर उसके महावीर की हत्या की थी।

इसके लिए सीमा ने पति को योजना अनुसार 3 सितम्बर मेरे साथ भेज दिया। 4 सितम्बर को सुबह होने पर जेल में बंद रिश्तेदार से मुलाकात के बाद गांव लौट के दौरान रास्ते में उटीला क्षेत्र के भोगीपुरा में सुनसान इलाके में मेने गांजा पीने के बहाने महावीर से मोटर साइकिल को रुकवा कर कुछ देर शिव मंदिर के चबूतरे पर बैठा कर देर इधर उधर की बातें करने के दौरान मौका देखकर महावीर के सिर पर पत्थर से प्रहार करके मौत के घाट उतारने के बाद मेने लाश को करीब स्थित कुएं में पटक दिया था। महावीर की हत्या में सीमा के भी संलिप्त होने की जानकारी मिलते ही पुलिस ने बिना देरी किए सीमा को भी उसके घर से गिरफ्तार कर लिया था।



आरोपी पत्नी को गिरफ्तार कर ले जाती महिला पुलिस

पाप काटने भेज दिया था अयोध्या

महावीर भिण्ड जिले का रहने वाला था। शादी के बाद वह अपनी पत्नी सीमा और तीन साल के बेटे के साथ ग्वालियर में भाड़े पर कमरा लेकर रहने लगा था। महावीर और सुरेन्द्र आपस में रिश्तेदार होने की वजह से सुरेन्द्र महावीर शरण के घर अक्सर आता रहता था। जब कभी सुरेन्द्र फुरसत में होता तो सुबह से ही महावीर के घर पर गांजा लेकर आ जाता था, फिर सुरेन्द्र और महावीर सारे दिन चिलम में गांजा धर कर पीते रात गहराने पर सुरेन्द्र महावीर के घर से भोजन करने के बाद अपने घर लौट जाता था। इसी दौरान सुरेन्द्र जब भी सीमा को देखाता तो उसके दिल हलचल सी मच जाती थी।

एक दिन जब सुरेन्द्र को पता चला कि महावीर दो तीन दिनों के लिए अपने गांव गया हुआ है जिससे सीमा घर पर अकेली होगी यह सोचकर वह सीमा के घर पहुंच गया। उसने सीमा को अकेले पाकर उसके रूप की तारीफ करना शुरू कर दिया। सीमा चुपचाप सुनकर मुस्कुराती रही तो उसने आगे बढ़कर सीमा को अपनी बाहों में भर लिया। सीमा चाहती तो यही थी, इसलिए भेज दिखाने के लिए सीमा न-न करती रही, जबकि वह स्वयं शारीरिक कामोत्तेजा के चलते सुरेन्द्र से लिपटी जा रही थी। सुरेन्द्र कोई दूध पीता छोटा बच्चा नहीं था, जो सीमा

पति की हत्या के बाद सीमा ने अपने आशिक को पैसा देकर अयोध्या दर्शन करने भेज दिया था ताकि हत्या के आरोप में वे दोनों कभी पकड़े न जाएं। सीमा ने इस दौरान प्रेमी को खर्च के लिए ऑनलाइन पैसा भी

भेजा था। सीमा की योजना भी कुछ दिन बाद अपने प्रेमी के साथ आगरा घूमने जाने की थी। लेकिन इसी बीच पुलिस ने शव की पहचान कर ली जिससे उसे अपना कार्यक्रम रोकना पड़ा।

की अभिलाषा को समझ नहीं पाता, इसके बाद वह क्षण भी आ गया, जब दोनों ने मर्यादा भंग कर दी, एक बार हिंसाक मिटी और मर्यादा भंग हुई तो सिलसिला शुरू हो गया, सीमा और सुरेन्द्र को जब भी मौका मिलता, दोनों उसका फायदा उठा कर आपस में शारीरिक भूख मिटाने लगे। लेकिन जल्द ही सीमा और सुरेन्द्र के संबंधों की भनक महावीर शरण को भी लग गई। जिसने उसने सीमा पर सख्ती करने शुरू कर दी। लेकिन पति की सख्ती का सीमा पर जरा भी असर नहीं हुआ। जिससे देख महावीर शरण और भी ज्यादा सख्त हो गया जिससे सीमा ने सुरेन्द्र से दो टूक शब्दों में कह दिया। अगर तुम मुझे हमेशा के लिए अपनी बना कर रखना चाहते हो तो इस आदमी को हमेशा के लिए मेरी जिंदगी से दूर कर दो वना मैं खुदकुशी कर लूंगी। सीमा के मुख से खुदकुशी की बात सुनकर सुरेन्द्र की आंखों में खून उतर आया। वह तैश में आकर बोला मैं बहुत जल्द ही उसका काम तमाम कर दूंगा। इसके बाद योजना बनाकर 3 सितम्बर को सुरेन्द्र, महावीर के घर पहुंचा और उसने महावीर से कहा मैं ग्वालियर जेल में हत्या के मामले में बंद रिश्तेदार से मुलाकात करने जा रहा हूँ तुम भी चलो। सुरेन्द्र की बात मानकर महावीर उसके साथ हो गया लेकिन दोनों जब

तक जेल के द्वार पर पहुंचे मुलाकात का समय समाप्त हो चुका था। इससे 4 सितम्बर की सुबह दोनों ने ग्वालियर जेल में बंद भांजे से मुलाकात की और गांव की तरफ वापस चल पड़े। रास्ते में भोगीपुरा के आगे सुनसान जगह पर छाया देखकर सुरेन्द्र ने गांजा पिलाने के बहाने कुएं के निकट मोटर साइकिल को रुकवा लिया महावीर को चबूतरे पर बैठा लिया। इस दौरान मौका देखकर सुरेन्द्र ने हत्या करने के इरादे से महावीर के सिर पर पत्थर से बार करके मौत के घाट उतारकर लाश को कुएं में फेंक दिया। उसे भरोसा था कि दूसरे गांव में महावीर की पहचान नहीं हो पाएगी तो मामला रफा-दफा हो जायेगा। महावीर को मौत के घाट उतारने के बाद सुरेन्द्र ने सीमा के मोबाइल पर काल कर बता दिया था कि उसने महावीर का काम तमाम कर दिया है। सबूत मिटाने के लिए महावीर के हत्यारे सुरेन्द्र ने सीमा के कहने पर मृतक की मोटरसाइकिल को नहर के पास वम्मा में रख दिया था और मोबाइल फोन व खून लगे मोटर बाइकों को रतनगढ़ माता मंदिर मार्ग पर झाड़ियों में फेंक दिए थे। लेकिन उटीला थाना प्रभारी ने आखिर उसे सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। **कहानी पुलिस सूत्रों पर आधारित सभी नाम बदले हुए हैं।**

नर्मदापुरम

अंधविश्वास के चलते दोस्तों के हाथ मारा गया निर्दोष चंदन



demo pic.

अंधविश्वास की आग

अचानक हुई अपनी मां की मृत्यु के पीछे सुशील को शक था कि उसकी मां की मौत के लिए चंदन की मां का जादू-टोना जिम्मेदार है। इसलिए जान के बदले जान लेने की फिल्मी सोच के चलते उसने दोस्तों के साथ मिलकर चंदन की हत्या का शव को घने जंगल में जला दिया।

जंगल में पड़ा मृतक का शव

योजना बनाकर की गई है हत्या

नर्मदापुरम एसपी का कहना है कि आरोपियों ने पूरी योजना बनाकर न केवल हत्या की वारदात को अंजाम दिया है बल्कि वारदात के बाद सबूत मिटाने की भी कोशिश की है। इसके साथ ही एसपी ने अपराध में बढ़ती नाबालिग बच्चों की भागीदारी पर भी चिंता व्यक्त की है।



मृतक चंदन नागवंशी



घटना स्थल पर मृतक की जलाई गई मोटरसाइकिल

नर्मदापुरम जिले के जावली गांव की वह सर्द शाम अपने अंदर अजीब सी खामोशी को अपने अंदर समेटे हुए थी। ऐसे में जब घने जंगलों से घिरे इस इलाके के लोग अपने-अपने घरों में सर्दी से बचने के उपाय कर रहे थे, तब पांच युवक अपनी मस्ती में दो बाइकों पर सवार होकर गांव से बाहर निकले। गांव के कुछ बुजुर्गों ने गांव के इन युवकों को सर्द हवा में बिना स्वेटर मफ्लर के मोटर बाइकों पर जाते देखा तो मन की मन उन्हें अपनी जवानी याद आ गई जब कड़कड़ाती ठंड में उनके माता-पिता घर में रहने और बिना गर्म कपड़ों के बाहर जाने से रोका करते थे। लेकिन वह उम्र

अचानक

हुई मौत के लिए किसी बाहरी कारण की जिम्मेदार ठहराना मानव मन की सामान्य प्रवृत्ति है। लेकिन जब यह प्रवृत्ति हिंसक रूप ले लेती है, तो नतीजे भयावह होते हैं।

मिडघाट की ओर निकली तब उनमें से एक मोटर साइकिल फर्राटा भरते हुए 21 वर्षीय चंदन नागवंशी नहीं जानता था कि यह उसकी जिंदगी की आखिरी शाम है। उसे इस बात का आभास तक नहीं था कि जिन युवकों के साथ वह हंसता-खेलता जा रहा है, वे उसकी मौत की योजना बना चुके हैं। दरअसल पूरी घटना की जड़ में था अंधविश्वास का यह जहर जो सदियों से लोगों में खासकर ग्रामीण इलाके के वाशियों

ही कुछ और होती है न मस्ती के आगे न सर्दी लगती है न गर्मी। दोनों मोटर साइकिल फर्राटा भरते हुए 21 वर्षीय चंदन नागवंशी नहीं जानता था कि यह उसकी जिंदगी की आखिरी शाम है। उसे इस बात का आभास तक नहीं था कि जिन युवकों के साथ वह हंसता-खेलता जा रहा है, वे उसकी मौत की योजना बना चुके हैं। दरअसल पूरी घटना की जड़ में था अंधविश्वास का यह जहर जो सदियों से लोगों में खासकर ग्रामीण इलाके के वाशियों

मृतक चंदन का परिवार जवान बेटे की हत्या से व्यथित है। विशेषकर उस मां के दर्द का तो अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता जिसके जवान बेटे की हत्या केवल इसलिए कर दी गई क्योंकि आरोपियों को इस मां के द्वारा जादू-टोना किए जाने का शक था। दरअसल सुशील की मां का कुछ समय पहले अचानक निधन हो गया था। सुशील का मानना था कि उसकी मां की मौत के पीछे चंदन की मां द्वारा किया गया जादू टोना है। इसलिए चंदन की मां से बदला लेने के लिए उसने चंदन की हत्या कर दी।

इस मामले में नर्मदापुरम एसपी साईं कृष्णा थोटा ने बताया तकनीकी साक्ष्य इस मामले में महत्वपूर्ण साबित हुए हैं। घटना दिनांक को मृतक के साथ आरोपियों के मोबाइल की लोकेशन मिल रही थी जिसके बाद पूरी कहानी पर से पर्दा उठ सका। पुलिस ने चारों आरोपियों के खिलाफ हत्या, सबूत मिटाने और पुलिस को गुमराह करने के मामले दर्ज किए हैं। नाबालिग आरोपियों के साथ किशोर न्याय अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई

दोगुना हो गया है मां का दर्द

इस मामले में नर्मदापुरम एसपी साईं कृष्णा थोटा ने बताया तकनीकी साक्ष्य इस मामले में महत्वपूर्ण साबित हुए हैं। घटना दिनांक को मृतक के साथ आरोपियों के मोबाइल की लोकेशन मिल रही थी जिसके बाद पूरी कहानी पर से पर्दा उठ सका। पुलिस ने चारों आरोपियों के खिलाफ हत्या, सबूत मिटाने और पुलिस को गुमराह करने के मामले दर्ज किए हैं। नाबालिग आरोपियों के साथ किशोर न्याय अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई

मोबाइल लोकेशन से मिला वल्

इस मामले में नर्मदापुरम एसपी साईं कृष्णा थोटा ने बताया तकनीकी साक्ष्य इस मामले में महत्वपूर्ण साबित हुए हैं। घटना दिनांक को मृतक के साथ आरोपियों के मोबाइल की लोकेशन मिल रही थी जिसके बाद पूरी कहानी पर से पर्दा उठ सका। पुलिस ने चारों आरोपियों के खिलाफ हत्या, सबूत मिटाने और पुलिस को गुमराह करने के मामले दर्ज किए हैं। नाबालिग आरोपियों के साथ किशोर न्याय अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई



ए. साईं थोटा एसपी

सुशील शांति था। वह चंदन को ऐसे घने जंगल में ले जाकर मारना चाहता था जहां से कि उसकी लाश की बदबू भी बाहर न आ सके। इसलिए गहरे जंगल में ले जाने से पहले वह चंदन को भरोसे में लेने के लिए यह सब नाटक कर रहा था जिसमें उसका पैसा भी खूब खर्च हो रहा था लेकिन सुशील का मानना था कि अगर मां की मौत का बदला लेने के लिए उसे खुद को भी बेचना पड़े तो वह पीछे नहीं हटेगा।

इस बीच सुशील को चंदन की गर्लफ्रेंड की भी जानकारी हो चुकी थी। इसलिए उसने सोच लिया था कि गायब होने के बाद सभी दोस्त मिलकर उसके गर्लफ्रेंड के साथ फरार होने की बात फैला देंगे।

धीरे-धीरे समय बीतने लगा। सुशील कम से कम दस बार चंदन को अपने दोस्तों के साथ जंगल में शराब पार्टी के लिए ले जा चुका था। इसलिए उसे भरोसा था कि अब चंदन शराब के लालच में घने जंगल में भी जाने को मना नहीं करेगा। लेकिन मामले में कोई चूक न हो इसलिए पार्टी के दौरान एक लड़की का इंतजाम होने का भी झूठ बोलने की योजना बना ली।

शेष पृष्ठ 7 पर...

पृष्ठ एक का शेष

“**भोपाल का ईरानी डेरा वर्ष 2014 में उस समय सुरिर्वियों में आया था, जब अमन कॉलोनी क्षेत्र में विवाद के दौरान हिंसा और आगजनी की घटनाएं हुई थीं। इसके बाद से यह इलाका लगातार पुलिस निगरानी में रहा। अमन कॉलोनी में सिया सुन्नी विवाद के बाद कई घरों में आगजनी की घटनाएं हुई थी।**



दिल्ली मुठभेड़ में पकड़े गए थे मुर्तजा और सिराज

इसलिए उन सभी राज्यों की पुलिस को सतकता बरतने हेतू खबर कर दी गई जिन्हें पहले से ही कई मामलों में राजू की तलाश थी। राजू ईरानी बीते चार वर्षों से मध्यप्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तरप्रदेश और पश्चिम बंगाल सहित सात से अधिक राज्यों में वांटेड था।

यहीं से राजू की गिरफ्तारी की कहानी शुरू हुई। कोई हफ्ते भर बाद सूरत क्राइम ब्रांच के पुलिस इंस्पेक्टर जेएन गोस्वामी और उनकी टीम को खबर मिली कि भोपाल का कुख्यात ईरानी डेरे का सरगना रहमान डकैत सूरत में घुस चुका है। इस जानकारी के मिलते ही सूरत क्राइम ब्रांच की टीम चारों तरफ फैल कर राजू की तलाश करने लगी जिसके चलते उसे सूरत के लालघाटी इलाके से गिरफ्तार कर लिया गया। यहां वह अपने साहू भाई के घर में छुपा था। करीब दो दशक से सक्रिय राजू ईरानी ठगी और लूट की दुनिया का पुराना खिलाड़ी है। वह खुद को कभी केंद्रीय एजेंसी का अधिकारी तो कभी पुलिस अफसर बताकर व्यापारियों को डरता और वारदातों को अंजाम देता था। हर गिरफ्तारी के बाद फर्जी दस्तावेजों के जरिए पहचान बदलकर पुलिस को चकमा देना उसकी खासियत रही है। लेकिन इस बार पुलिस उस पर भारी पड़ी।

देशभर की पुलिस के लिए दो दशक से सिरदर्द बना भोपाल का कुख्यात अपराधी आविद अली उर्फ राजू उर्फ रहमान डकैत सूरत क्राइम ब्रांच के हथिये चढ़ गया है यह जानकारी मिलते ही भोपाल सहित उन सभी छह राज्यों की पुलिस ने राहत की सांस ली जो सालों से इस कुख्यात अपराधी की तलाश कर रहे थे।

राजू ईरानी, जिसे लोग रहमान डकैत के नाम से ज्यादा जानते थे, भोपाल की अमन नगर कॉलोनी में रहता था और अधिकारी, साधु-बाबा के वेश में लूट, धोखाधड़ी, हिंसक वारदात और जिंदा जलाने के प्रयास जैसे गंभीर अपराधों को अंजाम देता रहा। महाराष्ट्र में उस पर मकोका जैसे सख्त कानून के तहत भी केस दर्ज है। हथियारों के साथ घूमना और डर के दम पर वसूली करना इस गैंग की पहचान थी। पुलिस रिकॉर्ड में उसके खिलाफ 10 से ज्यादा गंभीर केस दर्ज हैं। इनमें लूट, डकैती, ठगी, अवैध कब्जा और हथियारों से जुड़े अपराध शामिल हैं।

भोपाल में ईरानी डेरे से आपराधिक गतिविधियों के संभावन और अपराधियों को पनाह देने का सिलसिला 1970 के दशक से चल रहा है। शुरुआत में मुख्य केंद्र भोपाल रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर-6 के पास था। यहां से लूट, झपटमारी के साथ सरकारी और निजी जमीनों पर कब्जे किए गए और अवैध प्लॉटिंग कर मोटी कमाई की। अपराध से कमाया पैसा राजू ईरानी और उसके भाई जाकिर अली शौक में उड़ाने थे। लम्बरी कार, महंगी बाइक और यहां तक कि घोड़े तक पाल रखे थे। दोनों भाई खुद फील्ड में कम उतरते, लेकिन अपने गुर्गों के जरिए वारदात को



खतरनाक अपराधों के लिए कुख्यात है भोपाल का ईरानी डेरा

“**राजू ईरानी के अंडर में छह से ज्यादा गैंग काम करते हैं तो 14 से ज्यादा राज्यों में फैले हुए हैं। कहां चोरी होगी, किस राज्य में किस गैंग को भेजा जाएगा। सब कुछ राजू ईरानी ही तय करता था। उसका नेटवर्क इतना संगठित था कि हर गैंग को अलग-अलग काम सौंपे जाते थे। कोई गैंग सीनियर सिटीजन को टारगेट करता, तो कोई पुलिस या सीबीआई बनकर लोगों से गहने और कैश ठगता। कहीं बैरिकेडिंग लगाकर नकली चेकिंग होती, तो कहीं जमीन पर कब्जा किया जाता।**

भोपाल का ‘रहमान डकैत’

अंजाम दिलवाते थे। चोरी का माल कहां बेचना है, किसे छुड़वाना है। सब राजू ईरानी तय करता था।

वक्त के साथ इस डेरे का रुतबा और लोगों में भय बढ़ा तो 1980 के दशक में ईरानी गैंग ने करौंद, भानपुर और विदिशा रोड के ग्राम चोपड़ा में किसानों को धमकाकर जमीनें हड़पनी शुरू कर दी। जिसके चलते 2012 में ईरानी डेरे के 30 से अधिक परिवार सरदार राजू ईरानी के साथ करौंद की अमन कॉलोनी पहुंचे और दो एकड़ जमीन औने-पौने दाम पर लेकर सरकारी जमीन पर कब्जा कर डेरा बसा लिया।

राजू ईरानी को रील बनाने का शौक था। फिल्म धुरंधर के बाद उसने रहमान डकैत से प्रेरित होकर कई रीलें बनाईं। महंगी कारें, स्पोर्ट्स बाइक, अरबी घोड़े और अराम की जिंदगी राजू ईरानी का शौक था। उसने अपने फार्महाउस में लड़ाकू मुर्गे, मेंढ़े और घोड़े पाल रखे हैं। राजू के पालतू मेंढ़े और मुर्गे कई प्रतियोगिताओं में भी हिस्सा ले चुके हैं।

उसका भाई जाकिर अली भी लूट के पेशों से इसी तरह की जिंदगी जीता था। पुलिस के मुताबिक, राजू ईरानी अपने गैंग को किसी कॉरपोरेट की तरह चलाता था। उसने गैंग को अलग-अलग ग्रुप में बांटकर संगठित तरीके से संचालित किया। सदस्य पकड़े जाते तो जमानत, वकील और परिवार की जिम्मेदारी वही उठाता था। बदले में हर वारदात में उसका बड़ा हिस्सा तय रहता था।

गैंग के सदस्य सफारी सूट पहनकर खुद को पुलिस अधिकारी बताते थे। बुजुर्गों और अकेले लोगों को रोककर सोने-चांदी के जेवर सुरक्षा जांच के नाम पर उतरवा लेते और मौका पाकर फरार हो जाते थे। इन्होंने कई बार साधु-बाबा बनकर भी लोगों को ठगा गया।

वारदात के दौरान एक बैंकअप टीम तैयार रखी जाती थी। पकड़े जाने पर आरोपी को गलत नाम बताने की ट्रेनिंग दी जाती थी। लूट का माल किसी भी हालत में सरदार तक पहुंचाया जाता था। सबसे खतरनाक बात यह थी कि जो भी व्यक्ति गैंग की जानकारी देता था, उसे जान से मारने की धमकी दी जाती थी।

जब भी पुलिस दबिश देने पहुंचती, गैंग घर की महिलाओं और बच्चों को आगे कर देता था और मुख्य आरोपी पीछे के रास्तों से फरार हो जाता था। दिसंबर में भोपाल पुलिस ने 150 जवानों के साथ कॉम्बिंग की थी, तब भी राजू इसी तरह बच निकला था। यही कारण था कि जब पुलिस ने राजू की तलाश शुरू की तो महिलाओं ने सबसे पहले विरोध शुरू

भोपाल के बाहर करना था वारदात



सूरत क्राइम ब्रांच की गिरफ्त में राजू ईरानी

शातिर दिमाग अपराधी

राजू का गिरोह बेहद शातिर तरीके अपनाता था। कभी चेकिंग या हालिया लूट का डर दिखाकर व्यापारियों को झांसे में लेता, तो कभी बैंकों और भीड़भाड़ वाले इलाकों में केमिकल का इस्तेमाल कर ध्यान भटकता था। उसके साथी कभी ज्योतिषी तो कभी साधु का भेष धरकर घरों में घुसते और पूजा-पाठ के बहाने सोना साफ कर देते थे। हाईवे और सुनसान सड़कों पर नकली पुलिस बैरिकेड लगाकर लूट की वारदातें भी इसी गिरोह ने की हैं।



कौ पुलिस सतर्क हो गई जहां राजू ने अपना नेटवर्क जमा रखा था।

पुलिस की इसी सतर्कता के चलते सूरत क्राइम ब्रांच को मुखबिरों से खबर मिली कि भोपाल से भागकर राजू ईरानी

फरारी में मदद करने वालों पर गिरेगी गाज

निशातपुरा थाने के प्रभारी मनोज पटवा के मुताबिक, राजू से डोजियर भरवाया गया है, जिसमें उसके परिवार के सदस्यों सहित करीबी रिश्तेदारों की जानकारी दर्ज की गई है। पुलिस फरारी के दौरान राजू की मदद करने वालों की जानकारी भी जुटा रही है, ताकि अपराधियों को संरक्षण देने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की जा सके।

अपराध जगत में दो दशक से सक्रिय

करीब दो दशक से सक्रिय राजू ईरानी ठगी और लूट की दुनिया का पुराना खिलाड़ी है। वह खुद को कभी केंद्रीय एजेंसी का अधिकारी तो कभी पुलिस अफसर बताकर व्यापारियों को डरता और वारदातों को अंजाम देता था। हर गिरफ्तारी के बाद फर्जी दस्तावेजों के जरिए पहचान बदलकर पुलिस को चकमा देना उसकी खासियत रही है। अब पुलिस उसकी पुरानी पहचान और अलग-अलग नामों से दर्ज अपराधों की भी गहन जांच कर रही है, ताकि उसके अंतरराज्यीय ठगी गिरोह का पूरा नेटवर्क उजागर हो सके।

शिया और सुन्नी में हुआ था झगड़ा

2014 में अमन कॉलोनी में शिया (ईरानी) समुदाय के 30 से अधिक परिवारों ने मकान बनाए थे। वे आफताब मस्जिद के पास खाली जमीन पर इमामबाड़ा बनाना चाहते थे, जिसका सुन्नी समुदाय ने विरोध किया था। इस बात को लेकर दोनों पक्षों में मारपीट और पत्थरबाजी हुई, जिसके बाद ईरानियों ने फायरिंग कर दी। इसके बाद में सुन्नी समुदाय के लोग हथियार लेकर अमन कॉलोनी पहुंचे और घरों में घुसकर हमला शुरू कर दिया। इस खूनी संघर्ष में करीब 39 मकानों में आगजनी हुई और दर्जनों लोग घायल हो गए।

सूरत में किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने के इरादे से इलाके में दाखिल हो चुका है। इसी सूचना पर क्राइम ब्रांच ने जाल बिछाया। सूरत के लालगेट इलाके में गुप्त ऑपरेशन के तहत उसे बिना गोली चलाए गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के समय उसके पास से नकली दस्तावेज, वेश बदलने के सामान और हथियार बरामद हुए। वैसे इससे पूर्व 2020 में भोपाल क्राइम ब्रांच ने उसे डकैती की योजना बनाते हुए पकड़ा था। जेल से छूटने के बाद वह फिर से सक्रिय हो गया और भूमिगत रहकर अपने गिरोह के सदस्यों से ठगी और लूट की वारदातें करता रहा। इस दौरान कई राज्यों की पुलिस उसे पकड़ने भोपाल तक पहुंची, लेकिन वह हाथ नहीं आया।

राजू ईरानी का अपराध साम्राज्य किसी कॉरपोरेट कंपनी की तरह चलता था। हर सदस्य की भूमिका तय थी। कुछ

+

जुलाई में दिल्ली पुलिस ने किया एनकाउंटर

इसी साल जुलाई महीने में दिल्ली पुलिस ने अमन कॉलोनी निवासी ईरानी गैंग के दो सदस्यों, मुर्तजा अली उर्फ दमार और सिराज अली को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया था। पुलिस को इनके दिल्ली में छिपे होने की सूचना मिली थी, जिसके आधार पर घेराबंदी की गई। पुलिस को देखते ही आरोपियों ने फायरिंग शुरू कर दी, जिसके जवाब में दोनों आरोपी गोली लगने से घायल हो गए। जांच में सामने आया कि दोनों के खिलाफ देश के कई राज्यों में हत्या के प्रयास, लूट, चोरी और ठगी जैसे संगीन अपराध दर्ज थे और वे कई मामलों में फरार चल रहे थे।

फर्जी पासपोर्ट पर घूम आया विदेश

पुलिस जांच में यह भी सामने आया है कि राजू फर्जी दस्तावेज बनाने में माहिर है। वह फर्जी पासपोर्ट के जरिए विदेश यात्रा तक कर चुका है। यह पासपोर्ट कर्नाटक के गुलबर्गा निवासी गुलाम हसन उर्फ बड्डा शेख ईरानी ने बनवाया था। संबंधित एजेंसियां अब इस पूरे नेटवर्क की कड़ी-दर-कड़ी जांच में जुटी हैं।



भोपाल में गिरफ्तार गिरोह के सदस्य

अपराध में सबकी अपनी-अपनी भूमिका

डेरे के कई युवक महीनों तक कबीले से दूर रहते हैं। वारदात के लिए लंबे समय तक बाहर रहते हैं, जिसे वे ‘सफर’ कहते हैं। इस दौरान कुछ सदस्य सीधे अपराध में शामिल होते हैं। कुछ केवल लूट का माल सुरक्षित वापस लाने की जिम्मेदारी निभाते हैं। कुछ युवक अपराध का पैसा लेकर कबीले तक पहुंचते हैं। तो कुछ चोरी या अपराध से हथियारा हुआ समाना बाजार में बेचते हैं। सबसे खास बात ये है कि कुछ कुछ दिनों में अपना हुलिया बदल लेते हैं।

इनकी हुई गिरफ्तारी

सलमान खान उर्फ गाय, अली तनु, सकीना, नवबहार अली, अजीज सैयद , मिसम खान हैदर उर्फ मो। अली, रकीब कुबरा, नूरजहां, अफसर, अली जिशान, खान रिजवान, हसन सब्बीर अली उर्फ जुबैर, यासिम फातिमा उर्फ सलमा, शादिक हुसैन उर्फ जफर अली, अली आबिद उर्फ अरबाज, मो। शादिक अली उर्फ इशान, हसीब अली उर्फ मरीना, साबिर खान, तोफिक हुसैन, जाफरी हजरत अली वनी, अली रजा उर्फ तालिब पुलिस गिरफ्त में है। पुलिस अन्यों की तलाश में जुटी है।

परिवार की सुरक्षा और देखभाल की पूरी जिम्मेदारी राजू पर थी। इसी वजह से डेरे के लोग उसके प्रति पूरी निष्ठा रखते थे। ईरानी डेरे के आसपास के इलाकों में लोग डर के साये में जीते थे। किसी भी तरह की शिकायत करने पर जान को खतरा था। कई लोगों ने अपनी जमीनें औने-पौने दाम पर इस डर से बेच दीं कि वरना जबरन कब्जा कर लिया जाएगा। स्थानीय दुकानदारों और व्यवसायियों से रंगदारी वसूली जाती थी। जो नहीं देता था, उसके साथ मारपीट होती थी या उसकी दुकान पर हमला किया जाता था और इनके डर के कारण लोग शिकायत करने सामने भी नहीं आते थे।

राजू ईरानी पर पहला मुकदमा 2006 में अपहरण का दर्ज हुआ था। इसके बाद 2014, 2015, 2016 और 2020 में गंभीर धाराओं में केस दर्ज हुए। उस पर कुल 21 केस दर्ज हैं, जिनमें हत्या का प्रयास, डकैती, ठगी, जमीन अधिग्रहण और अवैध हथियार रखने के मामले शामिल हैं। महाराष्ट्र में

कहानी पुलिस सूत्रों पर आधारित सभी नाम बदले हुए हैं।